न्यायालय उपजिला कलेक्टर, दौसा

जिला दौसा

मु0न0 209/15

पीठासीन अधिकारी
सन्तोष कुमार गोयल
आर.ए.एस.

आरिफ

बनाम

बुन्दु मियां वगै0

प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी पी सी

प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी पी सी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी का उक्त वाद का कोई कॉज ऑफ एक्शन पैदा नही हुआ है, वादी ने अपना सम्पूर्ण वाद डिफेक्ट वाद पेश किया है, तथा बिना कॉज ऑफ एक्शन के वादपत्र पेश किया है, इसलिए वादपत्र इसी स्तर पर खारिज योग्य है। वादी ने अपना वादपत्र संख्या 01 लगायत 15 के विरूद्ध पेश किया है, उक्त प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी संख्या 07 अशफाक खान पुत्र अहमद खॉ जो कि वादी का खास सगा भाई है कि दिनांक 10.07.2013 को ही मृत्यु हो चुकी है, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र पेश है तथा प्रतिवादी संख्या 08 मुन्ना खां पुत्र अहमद खां जो कि वादी का ही खास सगा भाई है कि भी दिनांक 10.07.2013 से काफी समय पूर्व मृत्यु हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 09 अहसान खॉ पुत्र अहमद खां भी वादी का खास सगा भाई है उसकी भी उक्त वादपत्र पेश करने से काफी समय पूर्व मृत्यु हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 10 अब्दुल्ला खां राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कोई खोतदार नही है, फिर भी यदि मान लिया जावे कि अबुल खां पुत्र वजीर खं खातेदार है तो उक्त अबुल खां उर्फ गनी पुत्र वजीर खां की भी उक्त वादपत्र पेश करने से काफी समय पूर्व मृत्यु हो चुकी है। तथा प्रतिवादी संख्या 10 जन्नो बेवा रशीद खां की भी दिनांक 31.05.2013 को मृत्यु हो चुकी है। उक्त सभी प्रतिवादीगण दौसा के लॉकल निवासी व वादी के खास रिश्तेदार है, तथा वादी को उक्त लोगों की मृत्यु की उक्त वाद पेश करने से पूर्व जानकारी थी लेकिन वादी ने जानबूझकर उक्त मृतक व्यक्तियों के खिलाफ वाद पत्र पेश किया है, जो कानूनन डिफेक्ट वाद की श्रेणी में आता है, तथा कानूनन चलने योग्य नहीं है। उक्त वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 04

मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद सनवर खां नाम के व्यक्ति को प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है, जबकि उक्त नाम का कोई खातेदार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है ही नहीं, उक्त व्यक्ति को पक्षकार क्यों बनाया गया है, यह वादी ने कतई स्पष्ट नही किया है, यदि मान भी लिया जावे कि कयूम खां की मृत्यु होने पर उसका वारिस होने के नाते प्रतिवादी पक्षकार नही बनाया है। इस प्रकार वादी ने उक्त वाद पूर्णतया डिफेक्ट वाद पेश किया है, जो कानूनन इसी स्तर पर खारिज योग्य है। कि वादी ने अपने वादपत्र के जिम्मन नम्बर 04 में कॉज ऑफ एक्शन की डेट दिनांक 02.12.2015 बताकर लिखा है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 13 ने तारीख 02.12.2015 को तकासमा कराने से इन्कार कर दिया और एलानिया कहा कि वे तो बिना तकासमा कराये ही भूमि को रहन बय हस्तान्तरण करेंगे इसलिये बिनाय दावा पैदा होकर दावा करना लाजिम आया है। हमने पत्रावली उपलब्ध प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का अवलोकन किया व उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर गोर व मनन किया जिसमें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आदेश 07 नियम 11 सी पी सी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी पी सी स्वीकार किया जाता है वादी का वाद खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र बाद फैसल संलग्न वाद रहे।

सन्तोष कुमार गोयल
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
दौसा